भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 262

24 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

262. डॉ. डी. रवि कुमार:

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

श्री नवसकनी के:

श्री जी. सेल्वम:

डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की कितनी दुकानों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है;

(ख) क्या देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो सरकार को पेश आ रही चुनौतियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार को कुछ राज्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत और अधिक उत्पादों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ड.) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कदाचार को रोकने के लिए कौन-से अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के हिस्से के रूप में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस

.....2/-

को पूरी तरह से डिजिटिकृत कर दिया गया है, पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिए गए हैं, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण स्कीम को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है तथा 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। अब तक, देश (तमिलनाडु राज्य सहित) में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख उचित दर दुकानों को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के द्वारा पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्न वितरण के लिए ईपीओएस उपकरण संस्थापित करके स्वचालित किया गया है।

आरंभ में इस विभाग ने 4 राज्यों के साथ अगस्त 2019 में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना लागू की थी और जून 2022 के अंत तक ओएनओआरसी योजना देश के सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालित कर दी गई थी। इस योजना की शुरुआत के बाद ओएनओआरसी योजना के तहत 144 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जिसमें देश के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय दोनों लेनदेन शामिल हैं।

(ग) और (घ): वर्तमान में, राष्ट्रीय स्तर पर 99.8% राशन कार्ड आधार संख्या से जुड़े हुए हैं। तथापि, इस विभाग ने आधार सीडिंग को पूरा करने के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा-7 का प्रयोग करते हुए, दिनांक 08/02/2017 को जारी अधिसूचना (समय-समय पर यथासंशोधित) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई समय-सीमा बढ़ा दी है, ताकि दिनांक 30/09/2024 तक राशन कार्डों की आधार सीडिंग को पूरा किया जाए। आधार से जुड़े राशन कार्डों और ईपीओएस उपकरणों के साथ प्रचालित उचित दर दुकानों (एफपीएस) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) नियंत्रण आदेश, 2015 के खंड 9 के अनुसार, राज्य सरकारें उचित दर दुकान (एफपीएस) के प्रचालन की व्यवहार्यता में सुधार के लिए एफपीएस पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत वितरित खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देंगी। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि एफपीएस मालिकों को पीडीएस दुकानों (आउटलेट) के माध्यम से गैर-पीडीएस वस्तुओं को बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।

.....3/-

(ङ.): टीपीडीएस की पारदर्शिता और उचित कार्यप्रणाली एवं इस प्रकार की प्रणाली में पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, समय-समय पर यथासंशोधित, के तहत बनाए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में विनिर्दिष्टों के अनुसार राज्य, जिला, ब्लॉक तथा उचित दर दुकान के स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करती है, जिनमें स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और निराश्रित व्यक्तियों या विकलांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाए। सतर्कता समितियां निम्नलिखित कार्य करेंगी, नामत: -

(i) इस अधिनियम के तहत सभी स्कीमों के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करना;

(ii) इस अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना; और

(iii) किसी भी कदाचार या धन के दुर्विनियोजन के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 24.07.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 262 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आधार से जुड़े राशन कार्डों और ईपीओएस उपकरणों के साथ उचित दर दुकानों (एफपीएस) के संचालन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय प्रणाली में कुल राशन कार्ड	आधार के साथ जोड़े गए कुल राशन कार्ड	राशन कार्डों की सीडिंग का प्रतिशत	कुल उचित दर दुकान	ईपीओएस उपकरणों के साथ प्रचालित	उचित दर दुकानों के स्वचालन का प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17,258	17,257	100%	416	416	100%
2	आंध्र प्रदेश	90,25,839	90,25,839	100%	29,791	29,791	100%
3	अरूणाचल प्रदेश	1,86,417	1,50,284	81%	1,680	1,680	100%
4	असम	66,05,913	65,84,103	~100%	34,300	34,286	100%
5	बिहार	1,95,89,550	1,95,10,530	~100%	50,951	50,951	100%
6	चंडीगढ़	84,719	84,402	~100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	छत्तीसगढ़	53,77,624	53,74,976	100%	13,675	13,675	100%
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	58,672	58,672	100%	114	114	100%
9	दिल्ली	17,58,451	17,58,451	100%	1,993	1,993	100%
10	गोवा	1,29,504	1,29,468	100%	452	452	100%
11	गुजरात	78,55,092	78,55,092	~100%	16,949	16,949	100%
12	हरियाणा	48,49,116	48,49,116	100%	9,434	9,434	100%
13	हिमाचल प्रदेश	7,65,757	7,65,757	100%	5,219	5,155	~99%

.....2/-

14	जम्मू व कश्मीर	16,61,025	16,61,011	100%	6,737	6,737	100%
15	झारखंड	61,08,183	60,54,863	99%	25,228	25,228	100%
16	कर्नाटक	1,14,16,146	1,14,16,146	100%	20,403	20,325	~100%
17	केरल	41,97,405	41,95,562	100%	13,913	13,905	~100%
18	लद्दाख	29,783	29,566	99%	404	404	100%
19	लक्षद्वीप	5,383	5,379	~100%	39	39	100%
20	मध्य प्रदेश	1,26,31,430	1,26,27,203	100%	27,377	27,127	99%
21	महाराष्ट्र	1,63,75,075	1,63,74,643	100%	52,642	52,642	100%
22	मणिपुर	5,71,509	5,69,083	~100%	2,339	2,339	100%
23	मेघालय	4,16,623	2,99,561	~72%	4,735	4,727	~100%
24	मिजोरम	1,76,354	1,75,923	~100%	1,258	1,258	100%
25	नागालैंड	3,38,430	3,30,148	~98%	1,783	1,774	99%
26	ओडिशा	93,50,436	92,93,737	99%	12,044	12,044	~100%
27	पुड्डुचेरी	2,06,580	2,06,295	~100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पंजाब	40,15,195	40,14,800	100%	18,150	18,150	100%
29	राजस्थान	1,07,34,989	1,07,22,752	~100%	27,062	25,579	~95%
30	सिक्किम	97,006	96,961	100%	1,312	1,312	100%
31	तमिलनाडु	1,14,36,829	1,14,36,778	100%	34,805	34,805	100%
32	तेलंगाना	54,44,945	54,44,945	100%	17,246	17,246	100%
33	त्रिपुरा	6,06,271	6,05,884	~100%	2,057	2,057	100%
34	उत्तराखंड	13,96,299	13,96,231	100%	9,059	9,059	100%
35	उत्तर प्रदेश	3,61,25,293	3,61,21,354	100%	79,216	79,216	100%
36	पश्चिम बंगाल	1,37,12,277	1,37,08,137	100%	20,476	20,476	100%
राष्ट्रीय सारांश		**20,33,57,378**	**20,29,27,837**	**99.8%**	**5,43,259**	**5,41,345**	**99.6%**

*****